डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड़ अधिकारी नदबई
व इजलास श्री हेमराज गुर्जर,आर.ए.एस
उदयसिंह बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 88/2009

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दइ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

अतः आदेश है कि आराजी ख0न0 470 रकवा 0.03, 485 रकवा 0.18, 486 रकवा 0.13, 487 रकवा 0.25 वाके ग्राम कबई प्रथम तहसील नदबई स्थित है,पर वादी उदयसिंह व प्रतिवादी स. 6 लगायत 10 को 2/3 हिस्से का वा हिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा जमाबंदी संवत 2060 में अमरसिंह पुत्र अमरचंद हिस्सा 1/3 को कलमजन किया जाकर वादी व मृतक तेजसिंह के वारिसान प्रतिवादीगण 6 लगायत 10 को वा हिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी की डिकी से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की आराजी में दखलन्दाजी ना करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

बिज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————————फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 20.11.2020 को जारी की गई।

दस्तखत——— सहायक कलक्टर नदबई जिला भरतपुर

मुहर

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
गुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:04:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर नदबई जिला भरतपुर

1. उदयसिंह पुत्र टुण्ड़ा जाति जाट निवासी ग्राम कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई ।
2. हुकमसिंह पि. फूलसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)।
3. महेन्द्रसिंह पि. फूलसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)।
4. उदयसिंह पि. कल्यान जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)।
5. रमेशचन्द पि. कल्यान जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)।
6. कुमरपाल पि. तेजसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)।
7. परमानंद पि. तेजसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)।
8. दौलतसिंह पि. तेजसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)।
9. सुरेन्द्र पि. तेजसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)।
10. लीलावती पुत्री तेजसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)।
11. प्रबंधक बैक ऑफ राजस्थान शाखा कबई।
12. प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा नदबई।

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:04:44 IST
Reason: SelfAttested

20/11/20

सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर R.A.S.)

प्रकरण सं. 88/2009
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 20.11.2020

1. उदयसिंह पुत्र टुण्ड़ा जाति जाट निवासी ग्राम कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई ।
2. हुकमसिंह पि. फूलसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)।
3. महेन्द्रसिंह पि. फूलसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)।
4. उदयसिंह पि. कल्यान जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)।
5. रमेशचन्द पि. कल्यान जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)।
6. कुमरपाल पि. तेजसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)।
7. परमानंद पि. तेजसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)।
8. दौलतसिंह पि. तेजसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)।
9. सुरेन्द्र पि. तेजसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)।
10. लीलावती पुत्री तेजसिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)।
11. प्रबंधक बैक ऑफ राजस्थान शाखा कबई।
12. प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा नदबई।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री रामकिशन पूनिया एड0

पैरोकार सरकार तहसीलदार नदबई

निर्णय

दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि वादीगण द्वारा दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आरटीए के तहत पेश किया गया है।
2. यह कि आराजी ख0न0 470 रकवा 0.[illegible] 485 रकवा 0.[illegible] 486 रकवा 0.13, 487 रकवा 0.25 वाके ग्राम कबई प्रथम तहसील नदबई स्थित है।
3. यह है कि हाल ख0न0 470,485,486,487 [illegible] 362 रकवा 2 विस्वा, 377 रकवा 14 विस्वा, 378 रकवा 10 विस्वा, 379 रकवा 1 बीघा है। जिसका मिलान क्षैत्रफल संवत 2060 दावा के संलग्न है। आराजी ख0न0 362,377,378,379 जमाबन्दी संवत 2051 से 52 में

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:04:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर नदबई जिला भरतपुर

भजनसिंह, कमलसिंह, कुमरसिंह वा हिस्सा बराबर 1/3 राजस्व रिकार्ड दर्ज है। खसरा नम्बर 362, 377, 378, 379 में भजन, कमलसिंह, कुमरसिंह 1/3 हिस्से को वादी उदयसिंह व उसका खारा भाई मृतक तेजसिंह ने दिनांक 8.7.1994 जरिये रजिस्टर्ड बयनामा से खारिद कर लिया था। जिसका इन्तकाल भी दिनांक 03.08.1994 को स्वीकृत हो गया है।

4. यह है कि क्रेता तेजसिंह का स्वर्गवास हो गया है। जिनके वारिसान प्रतिवादीगण कुमरपाल, परमानंद, दौलत, सुरेन्द्र पुत्रान तेजसिंह व लीलावती पुत्री तेजसिंह जाति जाट निवासी कवई को पक्षकार बनाया गया है। जिनको मृतक तेजसिंह का हिस्सा मिलना आवश्यक है।

5. यह है कि प्रतिवादी स. 1 द्वारा सैटलमेन्ट संवत 2060 की जमाबन्दी में वादी उदयसिंह व मृतक तेजसिंह के स्थान पर मृतक अतरसिंह पुत्र अमरसिंह के नाम इन्द्राज हो गया है। जो कि गलत है। जबकि अमरसिंह पुत्र अमरचन्द का उक्त रकवा से लेना देना नही है। जैसा कि जमाबंदी सं. 2051 से 2054 की जमाबंदी में शुद्धी पत्र क्र.सं. 3 से अतरसिंह के स्थान पर भजनसिंह , कमलसिंह पि. अतरसिंह व हि. बराबर 1/3 हिस्सा खातेदार दर्ज हुआ है। तथा इसी जमाबंदी सं. 2051 से 2054 की जमाबंदी में इंतकाल सं. 735 दिनांक 03.08.1994 बयनामा से भजनसिंह कमलसिंह के 1/3 हिस्से पर तेजसिंह, उदयसिंह पि0 टुन्ड़ा जाति जाट हिस्सा 1/3 सा. देह खातेदार स्वीकार हुआ है।

6. यह कि जमाबंदी सं. 2060 में तेजसिंह व उदयसिंह पि0 टुन्डा से 1/3 के हिस्सेदार खातेदार दर्ज है। क्यों जमाबंदी सं. 2051 से 2054 में टुन्डा पुत्र चिरमौली 1/3 के स्थान पर विरासत तेजसिंह व उदयसिंह खातेदार दर्ज हुआ है। इस प्रकार वादी उदयसिंह व मृतक तेजसिंह के वारिसान प्रतिवादी गण सं. 6 लगायत 10 2/3 के बा हिस्सा बराबर खातेदार दर्ज होने चाहिए प्रतिवादी सं. 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार से उदयसिंह व तेजसिंह के स्थान पर पुनः अतरसिंह पुत्र अमरचंद दर्ज हो गया है। जो गलत है। तथा उदयसिंह व तेजसिंह 1/3 के ही हिस्से के है। जो गलत है। उक्त में मदसं. 2 में वर्णित आराजी के सम्पूर्ण हिस्से में से वादी व प्रतिबादी गण सं. 6 ल. 10 ,2/3 हिस्से के हिस्सेदार होने चाहिए इसलिए जमाबंदी सं. 2062 से 2065 में अतरसिंह पुत्र अमरचंद के हिस्से 1/3 को कलमजन कराने के अधिकारी है। जिसके संबंध में प्रार्थीवादी ने नकल जमाबंदी सं. 2065 मिलान क्षेत्रफल सं. 2060 व जमाबंदी सं. 2051 से 54 तथा नामान्तरण दिनांक 03.08.1984 दस्तावेज दावा के साथ वास्ते सबूत पेश किये है।

7. यह कि दिनांक 24.04.09 को प्रतिवादी गण ने स्पष्ट धमकी दी है। कि हम वादी को बेदखल कर देंगे तथा आराजी पर दखलन्दाजी करेंगे। अगर प्रतिवादी गण अपनी उक्त धमकी में कामयाब हो गये तो वादी को अजीम क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति जरिये नकद से न हो सकेगी। अतः वादी प्रविादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दावामी की डिक्री से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

8. यह कि बिनाय मुखासमत यौम देने धमकी वाके ग्राम ... प्रथम तह. नदबई से पैदा होने से वादी को हक नालिस पैदा हुई है।

9. यह कि विवादित आराजी व मुकदमा ... प्रथम तह. नदबई में स्थित होने व निवास करने से अदालत श्रीमान को वादपत्र की सुन... के पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

10. यह कि कोर्ट फीस व तलवाना हस्ब कायदा चस्पा करके पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:04:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि दावा वादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे।

अ. यह कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 6 ल. 10 विवादित आराजी खसरान नम्बरान वर्णित मद स. 2 आराजीयात में से 2/3 के हिस्से खातेदार घोषित किया जावे।

ब. यह कि मृतक तेजसिंह के स्थान पर उनके वारिसान को खातेदार दर्ज करने में मुझ वादी को कोई आपत्ति नही है।

स. यह कि जमाबंदी सं. 2060 में अमरसिंह पुत्र अमरचंद हिस्सा 1/3 को कलमजन किया जाकर वादी एवं मृतक तेजसिंह के वारिसान को वा हिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावे

द. यह कि प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दावामी की डिक्री से पाबंद किया जावे कि वो वादी की आराजी में दखलन्दाजी न करें व वादी को बेदखल न करें।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये तथा जबाब दावा पेश किया गया, प्रतिवादी स. 2 लगायत 10 की ओर से श्री सूरजभान एण्डवोकेट उपस्थित हुऐ तथा इनकी ओर से इकवाल दावा पेश किया गया जिसमें मुताबिक दावा प्रार्थना अनुसार स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाने की सहमती दी गई। प्रतिवादी स. 1 पैराकार सरकार ने अपने जबाब में ख0न0 367, 377,378, 379 वादी उदयसिंह,तेजसिंह ने जरिये रजि0 बयनामा वि0 पत्र क्रय किया था। रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर दावा डिक्री किया जा सकता है का उल्लेख किया है।

वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादी के जबाब के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गयी। जो निम्नानुसार है :–

1. आया वादी विवादित आराजीयात पर वादी व प्रतिवादीगण स0 6 लगायत 10 वि0 आराजीया तमे से 2/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है। – जिम्मेवादीगण
2. आया वादीगण जमाबंदी संवत 2060 में अमरसिंह पुत्र अमरचंद हिस्सा 1/3 को कलमजन कर वादी एवं मृतक तेजसिंह के वारियसान को वा हि बराबर खातेदार घोषित किया जावें। – जिम्मेवादीगण
3. आया वादी प्रति के खिलाफ हुक्मइम्तनाई दबामी की डिक्री करा पाने का अधिकारी है। –जिम्मेवादीगण
4. आया ख0न0 362,377,378,379 वादी उदयसिंह, तेजसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया था। रजि0 बयनामा के अधार पर डिक्री किया जा सकता है। – जिम्मेप्रतिवादी

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के [illegible] बंदी संबत 2062–65 वाके ग्राम कबई1 प्रदर्श –1, नकल मिलान क्षेत्रफल [illegible] प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी संबत 2051–54 वाके कबई1 प्रदर्श–3, नकल [illegible] वाके ग्राम कबई1 प्रदर्श–4 पेश किये गये, तथा मौखिक बयान के रूप में शपथप[illegible] वादी उदयसिंह पुत्र हुण्डा जाति जाट निवासी कबई एवं मोहनसिंह पुत्र धीसीराम जाति कोली निवासी कबई तहसील नदबई के पेश किये गये। इनसे जिरह प्रतिवादी पैराकार सरकार द्वारा की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:04:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

प्रतिवादी की ओर से अपने जबाब के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये गये

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान वकीलों की बहस को सुना गया, व मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं मौखिक बयानो का अवलोकन किया गया। निर्णय तनकीवार इस प्रकार है।

1. आया वादी विवादित आराजीयात पर वादी व प्रतिवादीगण स0 6 लगायत 10 वि0 आराजीयात मे से 2/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का था। वादी द्वारा जमाबंदी संबत 2062–65 वाके ग्राम कबई1 प्रदर्श –1 पेश कि गई जिसमें विवादित आराजी ख0न0 470, 485, 486,487, पर वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी का अंकन हो रहा है। तथा नकल मिलान क्षेत्रफल संबत 2060 वाके ग्राम कबई प्रदर्श–2 पर नये व पुराने खसरा नम्बरान को मिलान हो रहा है।, नकल जमाबंदी संबत 2051–54 वाके कबई1 प्रदर्श–3 पर ख0न0 362, 377, 378, 379 में भजनसिंह, कमलसिंह, कुमरसिंह वा हिस्सा बराबर 1/3 हिस्से को वादी उदयसिंह व तेजसिंह ने दिनांक 8.7.94 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा से खरीद किया गया हैं जिसका अंकन इन्तकाल स. 736 पर हो रहा है।, नकल नामान्तकरण स. 736 नामान्तकरण वाके ग्राम कबई1 प्रदर्श–4 पेश कि गई जिसमें दिनांक 03.8.94 बयनामा से भजनसिंह, कमलसिंह के 1/3 हिस्से पर तेजसिंह, उदयसिंह पि0 टुन्डा जाति जाट हिस्सा 1/3 सा. देह स्वीकार हुआ है। तथा जमाबन्दी संवत 2051 –54 में टुन्डा पुत्र चिरमोली 1/3 हिस्से के स्थान पर विरासतन तेजसिंह व उदयसिंह दर्ज हुआ है। परन्तु प्रतिवादी स. 1 राज0 सरकार पैरोकार द्वारा उदयसिंह व तेजसिंह के स्थान पर पुनः अतरसिंह पुत्र अमरचंद दर्ज कर दिया गया है। जोकि गलत अंकन किया गया है। इस प्रकार वादी उदयसिंह व मृतक तेजसिंह के वारिसान प्रतिवादी स. 6 लगायत 10 वा हिस्सा बराबर खातेदार दर्ज होना चाहिए। तथा इसके समर्थन में वादी उदयसिंह व मोहनसिंह के बयान भी पेश किये गये जिसकी पुष्टि करता है। अत वादी उदयसिंह व मृतक तेजसिंह 1/3 हिस्से के खातेदार ना होकर 2/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने तथा अतरसिंह पुत्र अमरचंद के हिस्से 1/3 को कलमजन करा पाने के अधिकारी है। अत उक्त तनकी वादी के हक में तय कि जाती है।

2. आया वादीगण जमाबंदी संवत 2060 में अमरसिंह पुत्र अमरचंद हिस्सा 1/3 को कलमज़न कर वादी एवं मृतक तेजसिंह के वारियसान को वा हि बराबर खातेदार घोषित किया जावें :– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण को था। वादी द्वारा प्रस्तुत साबिक रिकार्ड दस्तावेजी साक्ष्य से तनकी स. 1 के निर्णय से साबित किया जा चुका है।

– जिम्मेवादीगण

3. आया वादी प्रति के खिलाफ हुक्मइम्तनाई दबामी की डिक्री [illegible] का अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार भी वादी का [illegible] साबित किया जा चुका है इसलिए वादी प्रति के खिलाफ हुक्म[illegible] डिक्री से पाबन्द कराने का अधिकारी है। अत उक्त तनकी भी वादी के हक मे तय की जा[illegible]है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:04:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
कबई जिला भरतपुर

4. आया ख0न0 362,377,378,379 वादी उदयसिंह, तेजसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया था। रजि0 बयनामा के अधार पर डिक्री किया जा सकता है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रति का था। प्रतिवादी द्वारा रजि0 बयनामा के आधार पर किये जाने की सहमति जाहिर की गई। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंन्दी संवत 2051 से 2054 मे इन्तकाल स. 736 दिनांक 3.9.94 में बयनामा का हवाला दिया गया है। जिससे साबित है कि उक्त बयनामा से वादी उदयसिंह व तेजसिंह ने विवादित आराजी क्रय कि गई थी। तथा गवाह से भी साबित है। अत उक्त तनकी वादी के हक व प्रति के खिलाफ तय कि जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय के विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र डिक्री किया जाना उचित है। अतः आदेश है कि आराजी ख0न0 470 रकवा 0.03, 485 रकवा 0.18, 486 रकवा 0.13, 487 रकवा 0.25 वाके ग्राम कबई प्रथम तहसील नदबई स्थित है,पर वादी उदयसिंह व प्रतिवादी स. 6 लगायत 10 को 2/3 हिस्से का वा हिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा जमाबंदी संवत 2060 में अमरसिंह पुत्र अमरचंद हिस्सा 1/3 को कलमजन किया जाकर वादी व मृतक तेजसिंह के वारिसान प्रतिवादीगण 6 लगायत 10 को वा हिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी की डिकी से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की आराजी में दखलन्दाजी ना करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:04:44 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर